न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0- 104/2015

श्री अमरनाथ प्रसाद, पिता-श्री कपिल महतों, सा0-नसीरा, थाना-दाउदपुर, जिला-सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे पेशी, तारीख-सहि
13.08.2015	यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 21गो0/, दिनांक 02.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक श्री अमरनाथ प्रसाद, पिता-श्री कपिल महतों,सा0-नसीरा, थाना-दाउदपुर जिला-सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के ज्ञापांक 523, दिनांक 04.08.2015 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। दिनांक 13.08.2015 को आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि आवेदक का दाउदपुर थाना अंतर्गत कोहरा बाजार में दूकान एवं आवास है। कोहरा बाजार पर हमेशा चोरी डकैती होती रहती है। उनका आदित्य वस्त्रालय नाम की एक कपड़े की दूकान एवं एक दवा की दूकान हैं। वर्ष 2015 में उनकी दूकान एवं अन्य कई दूकानों में चोरी की धटना को अंजाम दिया गया था, जिससे संबंधित दाउदपुर थाना कांड संख्या 40/2012 दर्ज हुआ,जो अभी भी विचाराधीन हैं। उनके जान माल पर खतरे की आशंका बनी रहती हैं। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 21 गो0/, दिनांक 02.01.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, दाउदपुर के ज्ञापांक डी0आर0 549, दिनांक 24.07.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के जान माल की सुरक्षा हेतु इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की जाती है। थानाध्यक्ष,दाउदपुर के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल	

पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही हैं।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक श्री अमरनाथ प्रसाद, पिता-श्री कपिल महतों,सा0-नसीरा, थाना-दाउदपुर जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2013 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2335/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

22/8/15